निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1938 (श0)

संख्या 23 पटना, बुधवार, ——————

8 जून 2016 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	5-7
पूरक	---
पूरक-क	8-10

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 मई 2016

सं०सं० 5/टी० (यॉं०)–3–10–101/2015–1208—जल संसाधन विभाग के यॉंत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता को अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत स्तंभ– 4 में अंकित कार्यपालक अभियंता (यॉं०) के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।

क्र० सं०	नाम/आई०डी० कोड०/गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	कार्यपालक अभियंता (यॉं०) के पद का अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मो० हसनैन खान/ 3725/गया	कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा	कार्यपालक अभियंता (यॉं०), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	श्री दिनेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता (यॉं०) का दि० 30.04. 2016 **को सेवानिवृत्ति के क्रम में**
2	श्री सुरेश प्रसाद/ 3328/गया	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, समस्तीपुर	कार्यपालक अभियंता (यॉं०), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर	श्री दिनेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता (यॉं०) का दि० 30.04. 2016 **को सेवानिवृत्ति के क्रम में**
3	श्री अमरेन्द्र नारायण / 3664/ पटना	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर	कार्यपालक अभियंता (यॉं०), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर	श्री उमेश चन्द्र झा, कार्यपालक अभियंता (यॉं०) के अभ्यावेदन के आधार पर

1. संबंधित पदाधिकारी अपने मूल कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

2. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

4. तत्संबंधी पूर्व के विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
25 मई 2016

सं० 1/एल1–10–10/2001 गृ0आ0–4042—विभागीय अधिसूचना संख्या–1655, दिनांक 02.03.2016 द्वारा श्री पी0एन0 राय, भा0पु0से0 (1982), महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाऍं, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत विदेश (यू0एस0ए0) की यात्रा हेतु दिनांक 01.06.2016 से 30.06.2016 तक कुल 30 (तीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. श्री राय भा0पु0से0 (1982) के अवकाश अवधि में श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1984), पुलिस महानिदेशक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाऍं, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

1 जून 2016

सं० 1/एल1–10–05/2011 गृ0आ0–**4281**––श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2016 से 24.06.2016 तक कुल 24 (चौबीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003) के अवकाश अवधि में श्री रत्नमणि संजीव, भा0पु0से0 (2004), सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना के प्रभार में भी रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12––571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सामान्य प्रशासन विभाग

(शुद्धि–पत्र)

15 मार्च 2016

सं० 08 / आरोप–01–89 / 2015,सा0प्र0–3981—विभागीय संकल्प ज्ञापांक–08 / आरोप–01–89 / 2015, सा०प्र०–3918, दिनांक 14.03.2016 की कंडिका 3 को निम्नरूपेण पढ़ा जाय :– ''अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री सामदेव नारायण दास, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–636 / 11, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 9 (1) (क) के तहत निलंबित किया जाता है।''

2. संकल्प ज्ञापांक–3918, दिनांक 14.03.2016 की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

रक्तदान महादान
निविदा संख्या 1/ 2016–17
कार्यालय
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सह सम्पर्क पदाधिकारी
बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0 एम0 सी0 एच0, पटना 4

निविदा सूचना

सं० 170—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, के बिहार राज्य रक्त अधिकोष,पी0 एम0 सी0 एच0, पटना में दवा रसायन, मशीन/उपकरण एवं विविद्व सामग्रीयों आपूर्ति हेतु बिहार वाणिज्य–कर में निबंधित अथवा निबंधित नही है वह भी निविदा दे सकते है। लेकिन शर्त यह होगा की आपूर्ति आदेश देने से पूर्व उन्हे बिहार वाणिज्य–कर में निबंधन करा लेना होगा। लधु उधोग के मामलों में उधोग विभाग बिहार सरकार में निबंधित होना आवश्यक होगा। इच्छुक निविदा–दाता/ निर्माताओं / प्राधिकृत आपूतिकर्त्ताओं से मुहरबंद व टंकीत निविदा प्रथम प्रकाशन तिथि के 21 दिनो के अन्दर आंमित्रत किया जाता है। अगर 21 दिन रविवार या सरकारी अवकाश है तो अगले कार्य दिवस के अपराहण 5 बजे तक निबंधित अथवा स्पीडपोस्ट द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। कुरीयर से प्राप्त निविदा स्वीकार नही किया जायेगा। हस्तलिखित एवं समय बाधित के बाद प्राप्त निविदा पर कोई बिचार नहीं किया जायेगा प्रत्येक समुह के लिए अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद निविदा देना होगा। लिफाफे के उपर ही समुह का नाम एवं बिषय अंकित करना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। एक समाग्री के लिए एक ही दर अंकित करना होगा। निविदा दो प्रकार की होगी (क) तकनीकी निविदा एवं (ख) वित्तीय निविदा और दोनों निविदा अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद रहेगी और लिफाफे के उपर ही स्पष्ट रूप से तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा समुह के साथ अंकित करना होगा। निविदा की शर्ते, सामानों की सूची एवं विस्तृत सूचनाऐं बिहार राज्य रक्त अधिकोष, पी0 एम0 सी0 एच0, पटना से किसी भी कार्य दिवस के दिन मांग पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा रकता है। उक्त निविदा के लिए प्रिविड मिटिग 16–06–2016 को होगा जिसमें निविदादाता एवं उनके प्राधिकृत व्यकित भाग ले सकते है।

निविदा दाता को बिहार वाणिज्य–कर विभाग में निबंधन के साथ–साथ अप्रैल 2016 या उसके बाद निर्गत अनापति प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा कि साथ देना अनिवार्य होगा। निविदादाता को औषधी रसायन के मामलों में अधतन नवीनिकृत अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र/औषधी निमार्ण अनुज्ञप्ति पत्र/निर्माता का प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता होने का (आयात किये जाने वाले समानों, मशीन/ उपकरणों/औषधी रसायन के मामलों में वैध आयात प्रमाण) पत्र होना चाहियें। क्रय किये जाने बाले दावा/रसायन के मामलों में जी0 एम0 पी0, डब्लू0 एच0 ओ0, जी0 एल0 पी0 एवं मशीन उपकरण के मामलो में आई0 एस0 ओ0, एफ0 डी0 ए0 एवं सी0 ई0 मानक गुणवत्ता का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दवा रसायन, मशीन/उपकरण, विविद्व सामग्रीयों के लिए निविदा के साथ Group(A)कें लिए रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार) Group(B) के लिए रूपये 25,000(पच्चीस हजार) Group(C) के लिए राशि 10,000(दस हजार) एंव Group(D) के लिए राशि 5000(पॉच हजार) रूपये मात्र का एन0 एस0 सी0, बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटी मनी जो अधीक्षक, पी0 एम0 सी0 एच0, पटना के पदनाम से प्लेज किया होना चाहिए। मशीन उपकरण के मामलों में आपूर्ति के समय मशीन/उपकरण के क्रय मुल्य का 5% राशि गारंटी मनी के रूप में देना होगा। उक्त राशि गारंटी/बारंटी अवधि के समाप्त होने पर ही वापस की जा सकेगी। निविदा स्वीकृति के बाद अनवरत आपूर्ति करने का सहमती पत्र देना होगा। और आपूर्ति नही करने की स्थिति में उन्हें काली सूची में डालने एवं गारंटी मनी जप्त करने की कार्रवाई की जा सकती सभी निविदाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्हे केन्द/राज्य सरकार के किसी कार्यालय के द्वारा उनके फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है। निविदा–दाता को भारतीय नागरीक होना चाहिए। पागल, नाबालीग, दिवालिया, व्यक्ति एवं विवादित फार्म निविदा नही देगें। निविदा के साथ फार्म/कंपनी के प्रोपराईटर/निदेशक/पार्टनर का नाम पूरा पता एवं फोन नम्बर आदि तकनीकि निविदा के साथ देना होगा। मशीन/उपकरण के मामलों में निविदा–दाता को बिहार में सर्विस सेन्टर एवं दक्ष अभियन्ता का पता फोन नम्बर देना होगा।

जिनका सर्विस सेन्टर बिहार, पटना में होगा उनको प्राथमिकता दी जायेगी। निविदा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायें गय प्रपत्र के क्रम में ही निविदा देना होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नही किया जायेगा। विस्तृत विवरणी एवं अंकित शर्तो के अनुरूप प्रमाण पत्र/कागजात स्वय अभिप्रमाणित कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। क्रय समिति को निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद का न्यायायिक क्षेत्र पटना होगा। **निविदा का समूह** GROUP-A,B,C&D का सूची संलग्न है। बिस्तृत जानकारी वेबसाईट WWW.Prd Bihar.gov & WWW.PMCH. in पर भी देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अधीक्षक, पी0 एम0 सी0 एच0 पटना।

स्थान–पटना
दिनांक 31.05.2016

सूचना

No. 660— I**, AAKANKSH** D/O vijay kumar residence of saketpuri P.S Bahadurpur Patna. Vide Affidavit no.5915 Date 28.03.2016 shall be known as Aakanksha Sahay.

AAKANKSH.

सं० 666—मैं अक्षय कुमार, पिता–श्री उमेश सिंह, निवासी न्यू बहादुरपुर, बाजार समिति रोड, राजेन्द्र नगर, पटना–800016, बिहार शपथ पत्र सं० 2778, दिनांक 20.04.2016 द्वारा सूचित करता हूं कि आज से मैं अक्षय सिंह के नाम से जाना जाऊंगा।

अक्षय कुमार।

No. 666—**I,** Akshay Kumar, son of Shri Umesh Singh, residing at New Bahadurpur, Bazar Samiti Road, Rajendra Nagar, Patna–800016 declare vide Affidavit No–2778 dated 20.04.2016. that now onwards I shall be known as Akshay Singh.

AKSHAY KUMAR.

No. 669—**I,** Kumar**i** Rashmi Wo/ Bipin kumar R/o 303 om Mukti Shiela Vihar Apt. Rd. No.10H Patna-16 will be known as Rashmi Kumar declare vide Affidavit no. 7113 dated 11.04.2016 From now on Kumari Rashmi and Rashmi Kumar is same who is myself.

KUMARI RASHMI.

सं० 670—मै श्वेताङ्ग, पिता-विजय कुमार मिश्र, फ्लैट नं0-303, गौरी अपार्टमेंट, अम्बेदकर पथ, बेली रोड, रूकूनपुरा, पो०-वी०भी० कॉलेज थाना-रूपसपुर, पटना, शपथ पत्र सं०-9160 दिनांक 02.11.2015 से घोषणा करता हूँ कि मै अब श्वेताङ्ग मिश्र के नाम से जाना जाउँगा।

श्वेताङ्ग।

No. 670—I, Shwetang, S/o- Vijay Kumar Mishra, R/O. Flat no. 303, Gauri Apartment, Ambedkar Path, Baily Road, Rukunpura, PO- BV. College, Ps. Rupaspur Patna, declare Vide Affidavit no. 9160 Dated 02.11.2015 that now on wards I shall be known as **Shwetang Mishra.**

SHWETANG.

सं० 684—मैं विकाश प्रियदर्शी, पिता– डॉ० नितेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पता– मोहनपुर पुनाईचक, सरस्वती विद्यालय के निकट, पोस्ट एवं थाना– शास्त्रीनगर, जिला– पटना का निवासी हूँ। शपथ पत्र संख्या– 7553, दिनांकः 20.04.2016 से मेरा पुत्र क्षितिज जो क्षितिज प्रियदर्शी के नाम से भविष्य में जाना जाएगा।

विकाश प्रियदर्शी ।

No. 684— I, Vikas Priyadarshi, S/o Dr. Nitendra Prasad Sinha, Add.- Mohanpur Punaichak, Near Saraswati Vidyalaya, P.O. & P.S.- Shastri Nagar, Dist.-Patna, declare that my son Kshitiz will be known as Kshitij Priyadarshi for all future purposes vide Affidavit no. 7553, Dated 20.04.2016.

VIKAS PRIYADARSHI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 08/आरोप–01–190/2014,सा०प्र०–3327
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 मार्च 2016

श्री शाहिद परवेज, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–927/11, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–88,मु०/गो०, दिनांक 12.07.2014, पत्रांक–2046/गो०, दिनांक 06.07.2014 एवं पत्रांक–2265, दिनांक 22.07.2014 के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित मुखिया और शिक्षा मित्र के नियोजन एवं आँगनबड़ी सेविका की नियुक्ति में अनियमितता बरतने वाले मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष भी संबंधित पंचायतों के विरूद्ध उक्त आरोपों के लिए एक परिवाद पत्र दायर है, जिसपर लोकायुक्त के समक्ष सुनवाई जारी है।

2. जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित सभी तीनों आरोपों को समेकित करते हुए विभागीय स्तर पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए श्री परवेज से विभागीय पत्रांक–17188, दिनांक 15.12.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर लोकायुक्त को की गई कार्रवाई से अवगत कराने के क्रम में लगातार प्रतिवेदन की माँग की जाती रही।

3. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री परवेज के विरूद्ध गठित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6198, दिनांक 24.04.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रमंडलीय आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2510, दिनांक 14.10.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी श्री परवेज के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–16069, दिनांक 10.11.2015 द्वारा श्री परवेज से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री परवेज ने अपने पत्रांक–03, दिनांक 05.01.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन में प्रमाणित आरोपों से इन्कार करते हुए अपने को निर्दोष बताया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री परवेज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत यह पाया गया कि माननीय लोकायुक्त के चल रहे तीनों परिवाद एवं घटित घटना आरोपी पदाधिकारी के पदस्थापन से काफी पूर्व के थे एवं पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं की गयी थी। आरोपीत पदाधिकारी तीनों मामले में अपने कार्यकाल में कार्रवाई की परन्तु लोकायुक्त के यहाँ जब सुनवाई चल रही थी तो वैसी स्थिति में माननीय लोकायुक्त को अनुपालन प्रतिवेदन ससमय भेजे जाने हेतु सजग रहनी चाहिए थी। साथ ही उन्हें अपना सुस्पष्ट पक्ष जिला पदाधिकारी के समक्ष रखते हुए तीनों मामले के संबंध में ATR बनाकर समर्पित करना चाहिऐ था। माननीय लोकायुक्त के सक्षम सुनवाई के क्रम में आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था कि वे की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन ससमय उपस्थापित करते हुए पूर्व में हुऐ विलम्ब के लिए सकारण घटना क्रम का उल्लेख करते ताकि माननीय लोकायुक्त को सुनवाई में असुविधा नहीं हो। इस स्तर पर श्री परवेज के द्वारा निःसदेह चूक हुई है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं संचलान पदाधिकारी के मंतव्य तथा श्री परवेज द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय लोकायुक्त के समक्ष की गयी कार्रवाई का एवं पूर्व में हुई विलम्ब के लिए सुस्पष्ट प्रतिवेदन भेजने में हुऐ विलम्ब एवं सही स्थिति को स्पष्ट करने में हुई चूक के लिए इन्हें दोषी मानते हुए श्री शाहिद परवेज, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–927/11, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के विरूद्ध सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत निम्नलिखित शास्ति, अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2011–12 के प्रभाव से)।

(ii) एक वेतन वृद्धि की असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सं० 08/आरोप–01–111/2015,सा०प्र०–3965

संकल्प

15 मार्च 2016

श्री शिवेन्दु रंजन, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–764/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुगौली, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक–1683, दिनांक 06.06.2008 द्वारा बिना सूचना के अनधिकृत रूप से प्रखंड मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, मोबाईल स्वीच ऑफ रखने, बाढ़ प्रभावित परिवारों के ध्वस्त मकानों के सर्वेक्षण करने में उदासीनता बरते, बाढ़ राहत से संबंधी राशि का डी०सी० विपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने, मतदान केन्द्रों के सत्यापना/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि से संबंधित कार्यो में शिथिलता बरतने एवं महत्वपूर्ण बैठकों से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्री रंजन के विरूद्ध आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2690, दिनांक 08.03.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–385, दिनांक 30.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी श्री रंजन के विरूद्ध छः (06) आरोपों में से कुल तीन (03) आरोप को प्रमाणित पाया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–11907, दिनांक 14.08.2015 द्वारा श्री रंजन से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री रंजन ने अपने पत्रांक–1954, दिनांक 06.10.2015 द्वारा समर्पित अभिकथन/अभ्यावेदन में प्रमाणित आरोपों से इन्कार करते हुए अपने को निर्दोष बताया। श्री रंजन का कहना है कि वे प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए पटना गये हुए थे एवं अवकाश हेतु उनके द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था और स्वीकृत मानकर प्रस्थान कर गये। मुख्यमंत्री आवास योजना अर्न्तगत आरंभ में बाढ़ से ध्वस्त मकान के 1035 व्यक्तियों की सूची बनायी गयी थी एवं स्थल जाँचोपरांत अतिवृष्टि से ध्वस्त लाभुकों को जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सूची से निकाल दिया गया। इसके पश्चात् 134 लोगों को उस योजना से लाभान्वित किया गया।

4. श्री रंजन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में प्रस्तुत लिखित अभिकथन पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना के आरंभिक सर्वेक्षण में 1035 व्यक्तियों की सूची बनना, पुनः दूसरा सर्वेक्षण में शून्य हो जाना और अंततः 134 व्यक्तियों को अंतिम रूप से चयनित करते हुए लाभान्वित कराना यह दर्शाता है कि आरोपित पदाधिकारी ने सही ढंग से सर्वेक्षण कार्य का अनुश्रवण नहीं किया और अपने अधीनस्थ कर्मियों को योजना हेतु लाभुकों के सर्वेक्षण के लिए सही रूप से प्रशिक्षित नहीं किया।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य तथा श्री रंजन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत उनके अनधिकृत अनुपस्थिति एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में उदासीनता बरते जाने संबंधी आरोपों पर विभागीय जाँच आयुक्त के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री शिवेन्दु रंजन, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–764/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुगौली, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, पटना के विरूद्ध सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत निम्नलिखित शास्ति, अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2008–09 के प्रभाव से)।

ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 33/2015–121नि०गो०

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

20 मई 2016

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना सम्प्रति सेवा निवृत के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–247/2013, हरिशचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19.08.2015 को बीस हजार रूपये का कॉस्ट (Cost) के साथ विभागीय सचिव की माननीय उच्च न्यायालय, पटना में व्यक्तिगत उपस्थिति संबंधी अन्तरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित किया गया।

2. उक्त आलोक में मामले की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–438 नि0गो0 दिनांक 29.10.2015 के द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा डा0 गोकुल लाल, संयुक्त निदेशक (पशु स्वास्थ्य), पशुपालन, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. इसी बीच डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह की दिनांक 31.10.2015 को सेवानिवृत हो जाने के कारण डा0 सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या–21 नि0गो0 दिनांक 22.01.2016 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2015 को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–20 नि0गो0 दिनांक 22.01.2016 के द्वारा डा0 सिंह से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

5. उक्त आलोक में डा0 सिंह से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 25.01.2016 की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जो कॉस्ट (Cost) लगाया गया था, वो वापस ले लिया गया। फलतः सरकारी राशि की कोई क्षति नहीं हुई है अतएव डा0 सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए डा0 सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

6. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना सम्प्रति सेवा निवृत को आरोप मुक्त मानते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in